जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर की दिनांक 26.09.2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्तः–

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, के शा0सं0 95/छिहत्तर–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एंव स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमो के प्रभावी क्रियान्वयन एंव मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38–5–2010–20 स्वजल 2010 (टी0सी0अ0) दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति का पुर्नगठन किया गया था। शासनादेश द्वारा जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति को जलापूर्ति की योजना की स्वीकृति एंव राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन को अग्रसारित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

जनपद गौतमबुद्धनगर की पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" गौतमबुद्धनगर की बैठक दिनांक 26.09.2023 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर–उपाध्यक्ष।
2. जिला विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर–सदस्य।
3. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी–सदस्य।
4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी–सदस्य।
5. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल गौतमबुद्धनगर–सदस्य।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर–सदस्य।
7. अधिशासी अभियंता, सिचांई विभाग, गौतमबुद्धनगर–सदस्य।
8. जिला कृषि अधिकारी, गौतमबुद्धनगर–सदस्य।
9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, गौतमबुद्धनगर–सदस्य।
10. अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) गौतमबुद्धनगर–सदस्य सचिव।
11. मैसर्स एल0सी0 इन्फ्रा–टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद के प्रोजेक्ट मैनेजर

अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2394/W-22/NIT/2020-21 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा मै0 एल0सी0इन्फ्रा–टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गौतमबुद्धनगर की पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 विरचन एंव पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया है। राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मै0 एल0सी0इन्फ्रा–टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0), अहमदाबाद द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जनपद गौतमबुद्धनगर हेतु पत्र संख्या– LC/HO/Project/UP-JJM/GB Nagar/2023-24/295 दिनांक 18.09.2023 के माध्यम से 04 नग नई डी0पी0आर0 जल निगम कार्यालय में प्रस्तुत की गईहै, जिसमें 04 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। डी0पी0आर0 को राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ तथा जल निगम द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाईड लाईन के अनुरूप जल निगम कार्यालय द्वारा जाँच की गई है। डी0पी0आर0 की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी 12.50 प्रतिशत विभागीय सेंन्टेज तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन द्वारा दी गई गाईड लाईन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेंन्टेज के व्यय का भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय कर भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार डी0पी0आर0 में (1) योजना की प्रति व्यक्ति लागत रू0 9000 से कम होनी चाहिए (2) योजना में एकल ग्राम हेतु प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत रू0 35000 से कम होनी चाहिए तथा बहुल ग्राम हेतु प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत रू0 65000 से कम होनी चाहिए (3) प्रति किलोमीटर वितरण प्रणाली की लागत रू0 15.00 लाख से कम होनी चाहिए।

मैसर्स एल0सी0इन्फ्रा–टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0) अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

क्र सं	योजना का नाम	ब्लाक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आधार वर्ष 2022 की जनसंख्या	योजनामें प्राविधानित FHTC की संख्या	डिजाईन वर्ष 2052 की जनसंख्या	वर्क कॉस्ट (रू0 करोड़)	सैन्टेज (रू0 करोड़)	कुल लागत (रू0 करोड़)	प्रति व्यक्ति लागत डिजाईन वर्ष 2052 हेतु (रू0 हजार)	डी0पी0आर में प्रति FHTC की लागत मानक रू0 35000 के सापेक्ष	प्रति कि0मी0 की लागत मानकरू015 लाख के सापेक्ष	मानक के अनुरूप नही होने के कारण
1	आलमपुर लाथला उर्फ लौदोना पेयजल योजना	जेवर	1	2737	683	3801	2.879	0.305	3.184	7574	42152	14.90	आबादी का घनत्व कम होने, पाईप लाईन की लम्बाई अधिक होने, अधिकाश सडके सी0सी0 / इन्टर लॉकिग टाईल की होने के कारण तथा आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण
2	अलावलपुर पेयजल योजना	जेवर	1	651	162	1033	1.5973	0.1692	1.7665	15462	93590	11.34	आबादी का घनत्व कम होने, पाईप लाईन में अधिकाश सडके सी0सी0 / इन्टर लॉकिग टाईल की होने के कारण तथा आबादी तथा घरो की संख्या कम होने के कारण
3	सलारपुर कंला पेयजल योजना	दादरी	1	3567	563	5604	3.0515	0.3233	3.3748	5445	54200	13.87	आबादी का घनत्व कम होने, पाईप लाईन की लम्बाई अधिक होने, अधिकाश सडके सी0सी0 / इन्टर लॉकिग टाईल की होने के कारण तथा आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण

पूरा पेयजल योजना	जेवर	1	1367	333	2175	2.178	0.2307	2.4088	10014	65405	12.99	आबादी का घनत्व कम होने, पाईप लाईन की लम्बाई अधिक होने, अधिकांश सड़कें सीसी / इन्टर लॉकिंग टाईल्स की होने के कारण तथा आबादी तथा घरों की संख्या कम होने के कारण

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि एल०सी०इन्फा–टी०सी०ई०एस० (जे०वी०), अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त 04 नग डी०पी०आर० राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित विभिन्न मानको के अनुसार नही है।उपरोक्त प्रस्तुत 04 नग डी०पी०आर० में से 02 नग डी०पी०आर० (कमांक 01 एवं कमांक 03) में प्रति व्यक्ति लागत रू० 9000 से कम है तथा 02 नग डी०पी०आर० (कमांक 02 एवं कमांक 04) में प्रति व्यक्ति लागत रू० 9000 से अधिक है। समस्त 04 नग डी०पी०आर० में प्रति किलोमीटर वितरण प्रणाली की लागत रू० 15.00 लाख से कम है। समस्त 04 नग डी०पी०आर० की प्रति गृह संयोजन लागत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित मानक रू० 35000 से अधिक है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रस्तुत 04 नग डी०पी०आर० की कार्यालय अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर एवं शासन द्वारा नामित मेधज डी०पी०एम०यू० गौतमबुद्धनगर के अभियन्ताओ द्वारा विस्तृत जाँच की गई है तथा नियमानुसार प्रयास करने के उपरान्त भी उपरोक्त 04 नग डी०पी०आर० को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप लाना सम्भव नहीं हो सका है। उपरोक्त 04 नग डी०पी०आर० की जाँच जिलाधिकारी महोदय गौतमबुद्धनगर द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशो के कम में मुख्य विकास अधिकारी महोदय गौतमबुद्धनगर के द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा की गई है तथा समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार भी उपरोक्त 04 नग डी०पी०आर० को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्धारित मानको क अनुरूप लाना सम्भव नहीं है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त 04 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योंजना की डी०पी०आर० की लागत रू० 5.00 करोड से कम होने के कारण शासनादेश संख्या–51/2021/1883/छिहत्तर–1–2021–25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 के बिन्दु सं० 12 के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, (मेरठ क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान की गई है।

सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ के द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत परन्तु मानक के अनुरूप नहीं पाई गई उपरोक्त 04 नग डी०पी०आर० को जाँच एवं स्वीकृति हेतु राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

<u>ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई०एस०ए० के देयको के सम्बन्ध में :–</u>

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2427/W-314/JJM-ISA/2021-22 दिनांक 25.01.2021 के कम में जल जीवन मिशन का कार्यक्रम सम्पादित कर रहे तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, नोएडा के पत्रांक 1222/जे०जे०एम०/89 दिनांक 27.07.2021 के द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर हेतु चयनित ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई०एस०ए० को विकास खण्डजेवर के 33 एवं विकास खण्ड बिसरख के 04 ग्राम कुल 37 ग्राम आवंटित करते हुए अनुबन्ध गठित किया गया था। अनुबन्धों एवं शासनादेश सं० 03/2021/ 423/छिहत्तर–1–2021–03 षिकायत/2020 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा आई०एस०ए० को तीन फेज में सभी कार्यो/गतिविधियों को पूर्ण करना प्रस्तावित है। शासनादेश सं० 65/2022/3396/छिहत्तर–1–2022–03सम/2022 दिनांक 03.10.2022 के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार आई०एस०ए० द्वारा प्रस्तुत बिलों को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराकर जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात भुगतान हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है। प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाईजेशन फेज के अन्तर्गत आई०एस०ए० को कुल 07 नग एक्टीविटी का कार्य एवं डिलिवरेबल ससहित सम्पादित कराया जाना है। अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2737/W-314(Vol-6)/2022-23 दिनांक 07.10.2022 के अनुसार प्रथम फेज की गतिविधियों को पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत का भुगतान एवं 05 नग डिलिवरेबलस प्राप्त करने के उपरान्त 14 प्रतिशत का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई०एस०ए० द्वारा प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाईजेशन के कार्य पूर्ण कराते हुए धनराशि रू० 1718640.00 का बिल जी०एस०टी० सहित कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर में प्रस्तुत किया गया है। उक्त देयको एवं उसके अन्तर्गत कराई गई गतिविधियों को डी०पी०एम०यू० एवं कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर की संयुक्त जांच की गई। संयुक्त जांच के उपरान्त ब्लाक जेवर एवं बिसरख हेतु प्रथम फेज प्रस्तावित गातविधियों में से कुछ गतिविधियां पूर्ण नहीं होने के कारण कुल प्रस्तावित 34 प्रतिशत धनराशि रू० 1718640.00 के सापेक्ष मात्र 25 प्रतिशत धनराशि रू० 1386000.00 (जी०एस०टी० सहित) के भुगतान की संस्तुति की गई। दिनांक 06.12.2022 को संम्पन्न जिला पेयजल स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई०एस०ए० द्वारा ग्रामों में करायी गई गतिविधियों, ग्राम पंचायतो की बैठकों में दिये गये सहयोग, ग्राम की महिलाओं की बैठक तथा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी०डब्लू०ए०सी०) के गठन आदि के सम्बन्ध में सत्यापन अध्यक्ष ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति से कराने के उपरान्त सम्बन्धित विकास खण्ड की पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराते हुए पुनः आगामी बैठक में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर से समक्ष प्रस्तुत किया जाये। दिनांक 12.07.2023 को सम्पन्न जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त देयको के भुगतान के संबध में तथा उक्त देयको को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने के संबध में निर्णय हेतु मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष को नामित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में सम्बन्धित विकास खण्ड की पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराते हुए देयक पुनः जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर के समक्ष स्वीकृति एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार आई०एस०ए० कोर्डिनेटर डी०पी०एम०यू०, गौतमबुद्धनगर एवं उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर द्वारा संयुक्त रूप से भुगतान हेतु संस्तुत ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोएडा के प्रथम फेज की गतिविधियों हेतु देयक कुल प्रस्तावित 34 प्रतिशत धनराशि रू० 1718640.00 के सापेक्ष मात्र 25 प्रतिशत धनराशि रू० 1386000.00 (जी०एस०टी० सहित) के भुगतान को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर द्वारा सत्यापित किया जाता है तथा उपरोक्त देयको को भुगतान हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर को निर्देशित किया जाता है।

<u>सेफ एप्रोच, नई दिल्ली आई०एस०ए० के देयको के सम्बन्ध में :–</u>

अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2427/W-314/JJM-ISA/2021-22 दिनांक 25.01.2021 के कम में जल जीवन मिशन का कार्यक्रम सम्पादित करा रहे तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, नोएडा के पत्रांक 1221/जे०जे०एम०/89 दिनांक 27.07.2021 के द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर हेतु चयनित सेफ एप्रोच, नई दिल्ली आई०एस०ए० को विकास खण्ड दादरी के 23 एव विकास खण्ड बिसरख के 17ग्राम कुल 40 ग्राम आवंटित करते हुए अनुबन्ध गठित किया गया था। अनुबन्धों एवं शासनादेश सं० 03/2021/

3/छिहत्तर–1–2021–03 शिकायत/2020 दिनांक 05.02.2021के द्वारा आई0एस0ए0 को तीन फेज में सभी कार्यो/गतिविधियों को पूर्ण करना प्रस्तावित है। शासनादेश सं0 65/2022/3396/छिहत्तर–1–2022–03सम/2022 दिनांक 03.10.2022 के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार आई0एस0ए0 द्वारा प्रस्तुत बिलों को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराकर जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात भुगतान हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये है। प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाईजेशन फेज के अन्तर्गत आई0एस0ए0 कोकुल 07 नग एक्टीविटी का कार्य एवं डलिवरेबल ससहित सम्पादित कराया जाना है। अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2737/w-314(Vol-6)/2022-23 दिनांक 07.10.2022 के अनुसार प्रथम फेज की गतिविधियों को पूर्ण होनेपर 20 प्रतिशत का भुगतान एवं 05 नग डिलिवरेबलस प्राप्त करने के उपरान्त 14 प्रतिशत का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

सेफ एप्रोच, नई दिल्ली आई0एस0ए0 द्वारा प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाईजेशन के काय पूर्ण कराते हुए धनराशि रू0 2313685.00 काबिल जी0एस0टी0 सहित कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर में प्रस्तुत किया गया है।उक्त देयको एवं उसके अन्तर्गत कराई गई गतिविधियों को डी0पी0एम0यू0 एवं कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर की संयुक्त जांच की गई।संयुक्त जांच के उपरान्त ब्लाक दादरी एवं बिसरख हेतु प्रथम फेज प्रस्तावित गतिविधियों में से कुछ गतिविधियां पूर्ण नहीं होने के कारण कुल प्रस्तावित 34 प्रतिशत धनराशि रू0 2313685.00 के सापेक्ष मात्र 28 प्रतिशत धनराशि रू0 1983520.00 (जी0एस0टी0 सहित) के भुगतान की संस्तुति की गई। दिनांक 06.12.2022 को संम्पन्न जिला पेयजल स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुसार सैफ एप्रोच आई0एस0ए0 द्वारा ग्रामों में करायी गई गतिविधियों, ग्राम पंचायतो की बैठको में दिये गये सहयोग, ग्राम की महिलाओं की बैठक तथा ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (वी0डब्लू0ए0सी0) के गठन आदि के सम्बन्ध में सत्यापन अध्यक्ष ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति से कराने के उपरान्त सम्बन्धित विकास खण्ड की पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराते हुए पुनः आगामी बैठक मे जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 12.07.2023 को सम्पन्न जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त देयको के भुगतान के संबध में तथा उक्त देयको को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने के संबध में निर्णय हेतु मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष को नामित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में सम्बन्धित विकास खण्ड की पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराते हुए देयक पुनः जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गौतमबुद्धनगर के समक्ष स्वीकृति एवं राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किये गये। इस प्रकार आई0एस0ए0 कोर्डिनेटर डी0पी0एम0यू0, गौतमबुद्धनगर एवं उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर द्वारा संयुक्त रूप से भुगतान हेतु संस्तुत सेफ एप्रोच, नई दिल्ली आई0एस0ए0 के प्रथम फेज की गतिविधियों हेतु देयक कुल प्रस्तावित 34 प्रतिशत धनराशि रू0 2313685.00 के सापेक्ष मात्र 28 प्रतिशत धनराशि रू0 1983520.00 (जी0एस0टी0 सहित) के भुगतान को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर द्वारा सत्यापित किया जाता है तथा उपरोक्त देयको को भुगतान हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर को निर्देशित किया जाता है।

बैठक धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई।

26/09/2023
अधिशासी अभियंता,
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गौतमबुद्धनगर
सदस्य सचिव।

जिला सूचना एवं
जन सम्पर्क अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
सदस्य।

जिला कृषि अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।

अधिशासी अभियंता ग्राउड वाटर,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।

26/09/23
अधिशासी अभियंता सिचांई,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।

प्रभागीय वनाधिकारी
गौतमबुद्धनगर सदस्य।

जिला विकास अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर सदस्य।

26/09/23
मुख्य विकास अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर, उपाध्यक्ष।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गौतमबुद्धनगर।